न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दां0प्र0क0-625 / 15</u> <u>संस्था0दि0 07 / 10 / 2015</u> फाई लनं.233504000532016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

<u>----अभियोजन.</u>

-: <u>विरूद्ध</u>:--

नौखेलाल पिता सुरजू, उम्र 48 वर्ष, पेशा मजदूरी, नि0ग्राम—हरदौली, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

<u>----अभियुक्त.</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—29/09/2016 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—498 'ए' के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 01/09/15 से लगातार प्रार्थिया के घर के सामने हरदोली, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत श्रीमती रामकलाबाई, जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता की।
- 02— दिनांक 29/09/16 को फरियादी रामकलाबाई तथा अभियुक्त नौखेलाल का राजीनामा होने से धारा 325 भा0द0वि0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम हरदोली रहती है। मजदूरी करती है। उसके दो लड़के बाहर मजदूरी करते है। उसका पित हमेशा शराब पीता है। रात्रि 8 बजे करीब गांव में से उसका पित नौखेलाल घर आकर घर से स्टील की टंकी उठा कर ले जाने लगा उसने कहा टंकी कहा ले जा रहे हो इसी बात से लकडी उठकार उसके दांहिने कंधे एवं हाथ पर मारी चोट आकर खून आने लगा। हमेशा शराब पीने के लिए घर का सामान बेचता है। मना करने पर मारपीट झगडा कर उसे शारिरीक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करता है एवं गाली गुपतार करता है। झगडा उसके

ससुर सरजू गोंड एवं इमलीबाई ने देखा है।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 475

/ 15 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 498 'ए' 325 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

"आपने दिनांक 01/09/15 से लगातार प्रार्थिया के घर के सामने हरदोली, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत श्रीमती रामकलाबाई, जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता की?"

_: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

<u>—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण</u>

07— अभियोजन साक्षी रामकलाबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी नौखेलाल उसका पित है। उसका विवाह आरोपी के साथ लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। आज से लगभग 1 साल पूर्व ग्राम हरदोली में घरेलु बात को लेकर उसके पित नौखेलाल ने उसके साथ लकड़ी से कंघे एवं हाथ में मारपीट किया था जिससे उसके कंघे की हड्डी टूट गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी। साक्षी को प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने मारपीट के अलावा अन्य बातें लेख न कराना व्यक्त किया। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। उसका एक्सरे भी हुआ था। आरोपी ने उसे प्रताडित नहीं किया था। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी उसे लगातार शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित करता थां आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी शराब पीने के लिए घर का सामान व अनाज बेच देता था। आगे इस

गवाह यह भी अस्वीकार किया है कि लगातार प्रताडित करते हुए आरोपी उसके साथ मारपीट की थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं कथन प्र0पी0 2 का ए से ए भाग लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसका उसकी मर्जी से राजीनामा हो गया है।

08— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से उसकी मर्जी से बिना किसी डर दबाव के राजीनामा हो गया है और वह आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने उसे शारिरीक व मानसिक रूप से मारपीट कर प्रताड़ित किया हो। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 498 ''ए'' के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

- 09— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क़ुरता कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।
- 10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क़ुरता कारित की। इस प्रकार अभियुक्त नौखेलाल को भा०द०वि० की धारा—498 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— अभियुक्त के धारा—313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 12- प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0